संख्या:42/2026/622/कृशिअ-67-1013/1/2021

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद,
लखनऊ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवशेष 05 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-3062/उपकार भवन निर्माण-II/2026, दिनांक 20.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवशेष 05 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के स्वतंत्र कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा पुनरीक्षित लागत रू.1538.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष परियोजना हेतु 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 76.92 लाख को रोककर विभिन्न शासनादेशों द्वारा रू0 1461.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्ग की जा चुकी जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रावधानित धनरायिा रू0 76.92 लाख के सापेक्ष परियोजना पर रोकी गयी 05 प्रतिशत धनराशि रू0 76.92 लाख (रूपये छिहत्तर लाख बानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
2) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग दिनांक 31.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा।
3) इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-25/2015/1019/67-कृशिअ-15-700(9)/14, दिनांक 10.06. 2015 एवं शासनादेश संख्या:2192207/2022/कृशिअ-67-1013/1/2021, दिनांक 05.12.2022 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित परियोजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नही रखी जाएगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकता के अनुसार आहरित कर स्वीकृत कार्यो पर ही व्यय की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
7) परियोजना के मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु उपकार के संबंधित अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होगें।
8) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि को कोषागार में सुसंगत लेखाशीर्ष के अंतर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाएगीं।
9) उक्त अनुदान का देयक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के महानिदेशक और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक को जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।
10) वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 76,92,000 (रुपये छिहत्तर लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4415802773200 उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यालय भवन का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3) जिलाधिकारी, लखनऊ / कोषाधिकारी, लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5) सचिव / वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
6) प्रबन्ध निदेशक / प्रोजेक्ट मैनेजर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निमग लि0, लखनऊ ।
7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in